सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं0 False Certificate/1/UP/2017/RU-I

दिनांक: 31.01.2018

<u>सिटिंग नोटिस</u>

विषय: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिलें के ब्राह्मण नायक और ब्राह्मण ओझा जाति के व्यक्तियों द्वारा गोंड जनजाति की उपजाति बनकर फर्जी तरीके से प्रमाणपत्र बनवाकर सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करने के संबंध में श्री अरविंद कुमार गोंड, राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित आदिवासी जीवन ज्योति फाउंडेशन, नोएडा, उत्तर प्रदेश का अभ्यावेदन।

संदर्भ: <u>आयोग द्वारा भेजा गया पत्र दिनॉक 03.11.2017 और 15.12.2017 (प्रति संलग्न)।</u>

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. श्री नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक **<u>23.02.2018 को 3:00 बजे</u>** सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखे कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(राजेश्वर कुमार)
सहायक निदेशक

895
31/01/18

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
उत्तर प्रदेश।

O/C